न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा इटावा जिला कोटा राज0

मिसल न	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10 / 2020	03 / 02 / 2020	....

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

उनवान

रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. छोटूलाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. [illegible] पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. [illegible] बाई पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. [illegible] बाई पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. [illegible] बाई बेवा प्रहलाद जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. बद्रीलाल पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी रामपुरियाँ धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादी

वाद अंतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम रामपुरियाँ धाबाई में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त कब्जे खाते एवं काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 388 की रकबा 0.92 है0 खसरा नम्बर 394 की रकबा 0.15 है0, ख0न0 395 की रकबा 0.07 है0, ख0न0 396 की रकबा 0.08 है, ख0न0 398 की रकबा 0.63 है0, ख0न0 415 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 6 की कुल रकबा 2.13 है। जो वाके मौजा रामपुरियाँ धाबाई पटवार क्षेत्र बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे चाचा ताऊ है व मृतक सगे भाई प्रहलाद मोतीलाल की संताने है।

यह कि वादी के पिता स्वर्गीय श्री मोतीलाल की मृत्यु के बाद जब फौती इन्तकाल खुला उस समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के सरसरी तौर पर बिना किसी औथान्टिक व्यक्ति के [illegible] के घोर लापरवाही पूर्वक गैर कानूनी तरीके से कार्य करते हुए वादी का नाम रामस्वरूप के स्थान पर छोट्या पुत्र मोतीलाल दर्ज कर दिया जो कतई गलत व गैर कानूनी है क्योंकि मृतक मोतीलाल के केवल दो पुत्र रामस्वरूप, बद्रीलाल है। इसके अलावा कोई पुत्र पुत्रियां नहीं है जो सरासर राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण दर्ज हुआ है। जिसकी वादी घोषणा डिक्री मय स्थाई व्यादेश से प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह कि वादी का नाम दिगर दस्तावेजों जैसे भारतीय निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड व अन्य खाते की नकल ग्राम बालूपा ख0 नं0 22 की रकबा 1.86 है0, ख0 न.0 49 की रकबा 0.4. है0, ख0 नं0 135 की रकबा 0.60 है0, किता 3 की कुल रकबा 2.86 है0, वाकें माल बालूपा पटवार क्षेत्र बालूपा सम्वत् 2070–75 में वादी का सही नाम रामस्वरूप दर्ज है। जिसमें बखुबी साबित होता है कि स्व0 मोतीलाल के पुत्र छोट्या न होकर रामस्वरूप ही है तथा वादी इसी अनुरूप में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में छोट्या के स्थान पर सही करवाते हुए रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल दर्ज करवाने का अधिकारी हैं इसलिए माननीय न्यायालय से घोषणा डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि वादी का उक्त विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 388 की रकबा 0.92 है0 खसरा नम्बर 394 की रकबा 0.15 है0, ख0न0 395 की रकबा 0.07 है0, ख0न0 396 की रकबा 0.08 है, ख0नं0 398 की रकबा 0.63 है0 ख0नं0 415 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 6 की कुल रकबा 2.13 है। जो वाके माल रामपुरियॉ धाबाई पटवार क्षेत्र बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में गलत दर्ज होने के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कृषि ऋण लेना के0सी0सी0 बनवाना आदि में इस बाबत् पूर्व में वादी इस प्रतिवादी क्रम–9 से कई बार निवेदन व आग्रह नाम सही दर्ज करने बाबत किया गया किन्तु प्रतिवादी 9 द्वारा वादीगण को एक लम्बे समय से मात्र भरोसा दिया गया कि वो शुद्धि पत्र से नाम सही कर देंगे कि अभी दिनांक 09.10.2019 को प्रतिवादी क्रम 9 ने नाम सही करने में अपनी असमर्थन व्यक्त करते हुए वादी का नाम सही करने से साफ इंकार कर दिया इसलिए वादी से मजबूर होकर उक्त अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत् माननीय न्यायालय में दावापेश करना लाजिम आया तथा वादी माननीय न्यायालय की सहायता से अपना नाम सही करवाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी पत्र की मद नं0 1 में वर्णित कृषि आराजी ख. नं. 388 की रकबा 0.92 है0, ख. नं. 394 की रकबा 0.15 है0 ख. नं. 395 की रकबा 0.07 है0 , ख.नं 396 की रकबा 0.08 है0 ख नं. 398 की रकबा 0.63 है0 ख. नं. 415 की रकबा 0.28है। कुल 6 किता की कुल रकबा 2.13 है0 है वाके माल रामपुरिया पटवार क्षेत्र बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में वादी का नाम दुरूस्त करते हुए रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल घोषित किया जावें दतनानुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा वादी का गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। वकील वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादी का नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–73 माल ग्राम बालूपा तहसील पीपल्दा के खाता सं. 89 मे वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मोत्या दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है जबकि जमाबंदी सम्वत् 2070–73 माल ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का बालूपा तहसील पीपल्दा में वादी का नाम छोटया पुत्र मोती दर्ज रिकार्ड है जो गलत है इसे दुरूस्त कर वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल किये जाने के आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वकील वादी द्वारा यह भी निवेदन है की प्रतिवादी कम 1 ता 8 परिवार के सदस्य है और सहखातेदार इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है इनके कोई विधिक सहायता प्राप्त नही करनी हैं। प्रतिवादी कम 9 तहसीलदार पीपल्दा को जारी नोटिस बाद

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तामिल संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है। इसी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070–73 माल ग्राम बालूपा तहसील पीपल्दा के खाता सं. 89 मे वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मोत्या दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2070–73 माल ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का बालूपा तहसील पीपल्दा में वादी का नाम छोटया पुत्र मोती दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात् वोटर आई डी कार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, में वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवार हल्का बालूपा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2022 केम्प बालूपा में प्रस्तुत रिपोर्ट में रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल एवं छोट्या पुत्र मोती एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित कर जमाबंदी सम्वत् 2074--77 में अंकित खातेदार का नाम छोट्या पुत्र मोती के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल किया जाना अंकित किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बालूपा द्वारा भी वादी का सही नाम रामस्वरूप मोतीलाल होना प्रमाणित किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार वाद वादी स्वीकार कर जमाबंदी सम्वत् 2074--77 माल ग्राम रामपुरिया धाबाई पटवार क्षेत्र बालूपा तहसील पीपल्दा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 388 की रकबा 0.92 है0 खसरा नम्बर 394 की रकबा 0.15 है0, ख0न0 395 की रकबा 0.07 है0, ख0न0 396 की रकबा 0.08 है, ख0नं0 398 की रकबा 0.63 है0 ख0नं0 415 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 6 की कुल रकबा 2.13 है। वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी इटावा